18/07/2022 आज यह पत्रावली पूर्व में प्रार्थनापत्र आदेश 1 नियम 10 जा० दी० एवम्
प्रार्थनापत्र आदेश 7 नियम 11 जा० दी० के निर्णय सुनाये जाने हेतु
पेश हुई। वकील उभय पक्षकारान उप० आये। प्रार्थी / वादी की
ओर से प्रस्तुत दर० O 1 R 10 जा० दी० का सारांश: रहा कि वादी द्वारा अदालत
श्रीमान् के समक्ष कब्जे के आधार पर इस्त० मय दुरुस्ती राजस्व रिकार्ड का
वाद पेश किया जाकर विचाराधीन है तथा राजस्व रिकार्ड में दर्ज खातेदारान
को पक्षकार नहीं बनाया गया है लेकिन उक्त आराजी के राजस्व रिकार्ड में दर्ज
खातेदार को पक्षकार बनाया जाना आवश्यक होता है अंकित करते हुए वर्णित
खातेदार जगमाल पुत्र सल्लू, परमाद पुत्र सल्लू, मोहरसिंह पुत्र बुधाव
शंकर पुत्र सल्लू जाति यादव अहीर निवासी भोला अहीर तह० मुण्डावर
को प्रतिवादी की जद में पक्षकार बनाया जाकर सुनवाई का अवसर दिया
जाने बाबत का अंकन कर उक्त प्रार्थना पत्र पेश की गई जिस बाबत वकील
प्रतिवादी ने उक्त प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 जा० दी० के बिन्दुओं को अस्वीकार
करते हुए अपना जवाब [illegible] अंकित किया कि वादी ने वाद इस्तकरारहक
व दुरुस्ती इन्द्राज [illegible] आदेश किया है तथा पैरा में व्यर्थ तथ्य अंकित
[illegible] खातेदार को प्रार्थी ने वाद में
किये हैं जो अविश्वसनीय करने [illegible] तथा है रिकार्ड [illegible] प्रार्थी के वादपत्र में रिकार्ड
[illegible] पक्षकार बनाने के लिए प्रार्थना पत्र पेश किया है [illegible]

सहायक कलक्टर
मुण्डावर (अलवर) राज०

लगातार ---

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Badgujar
Date: 2022.10.12 17:56:18 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अ... जो इस हुक्म की ... में जारी हु...
सहायक कलक्टर, मुण्डावर (अलवर)	खातेदार के नाम भी अंकित किये है जो जगमाल, प्रभाती पुत्र सल्लू है एवं वाद दायरी के दिन भी प्रार्थी को इस तथ्य की जानकारी थी लेकिन वाद में रिकॉर्डेड खातेदार को पक्षकार वाद दायरी के समय क्यों नहीं बनाया इसका कारण प्रार्थना पत्र में क्यों नहीं बताया। वाद की विरचना के समय किसी तथ्य की जानकारी नहीं होने पर विचारण के समय जानकारी होने पर लिपिकिय भूल को प्रार्थना पत्र के जरिये त्रुटि की पूर्ति का अवसर दिया जा सकता है लेकिन विधि की त्रुटि के लिए किसी भी पक्षकार को अनुमति नहीं दी जा सकती। इसे स्वाभाविक भूल नहीं माना जा सकता। इस तरह के वाद केवल अपूर्ण, विधि विरुद्ध एवं विचारण को लम्बित करने विचारण प्रक्रिया को बाधित करने प्रतिवादी को तंग प्रतिपक्ष के मूल्यवान अधिकारों को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करने की मंशा साफ जाहिर होती है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र काबिल खारीज है। वादी शुद्ध हस्त से वाद दायर नहीं किया वादी स्वयं के अधिकारों की रक्षार्थ नहीं परन्तु प्रतिवादी के अधिकारों को कुण्ठित करने के लिए वाद पेश किया है। वादी ने अपने उक्त प्रार्थना पत्र के जरिये जगमाल, प्रभाती, शंकर पुत्रान सल्लू एवं मोहरसिंह पुत्र कुंधा पोत्र सल्लू को वाद में पक्षकार बनाने पेश की है जबकि शंकर पुत्र सल्लू करीब एक वर्ष पूर्व [illegible] सं० प्रभाती व जगमाल अरसा दराज पूर्व [illegible] हो चुके हैं मोहरसिंह भी फौत हो चुका है [illegible] पक्षकार बनाये जाने हेतु प्रार्थना [illegible] वाद हेतुक पैदा होता नहीं बनाया जा सकता एवं वादी ने उक्त [illegible] वाद हेतुक भी अंकित नहीं किया है तथा जिस व्यक्ति के [illegible] वाद हेतुक पैदा नहीं होता उसे वाद के पक्षकार नहीं बनाया जा सकता है और जिन्हे पक्षकार बनाने के लिए प्रा०पत्र पेश किया है वो पूर्व में	

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Badgujar
Date: 2022.10.12 17:56:18 IST
Reason: SelfAttested

लगातार...

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	खारिज हो चुके है तथा उसके खिलाफ वाद कारण पैदा नहीं होता है। प्रार्थी अन्तर्गत प्रार्थना पत्र पेश कर वाद की कार्यवाही को लम्बित करने व एक पक्षीय स्थगन को कायम रखने के लिए समय जाया किया जा रहा है आदि-आदि अंकित करते हुए मय हर्जा खारीज किये जाने का निवेदन रहा। ठीक इसी प्रकार वकील प्रार्थी/प्रतिवादी ने प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा.दी. पेश की जिसका सारतः रहा कि वादी द्वारा आराजी मुतनाजा खि.नं. 575 वाके ग्राम अहीर कोलाला तहसील मुण्डावर के बाबत प्रतिकूल कब्जा के आधार पर खातेदारी की घोषणा व इ.दा. दवामी का पेश किया है जबकि उक्त आराजी के रिकार्ड खातेदार को वाद में पक्षकार नहीं बनाया एवं जिनके खिलाफ खातेदारी की घोषणा चाही है वह वाद के निर्णय के लिए आवश्यक पक्षकार था इसलिए नॉन ज्वाइण्डर ऑफ पार्टी में वादी का वाद काबिल खारीज है एवं प्रतिकूल कब्जा के लिए वादी ने खातेदारी की आराजी बाबत घोषणात्मक अनुतोष के लिए वाद दायर किया है एवं प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी की घोषणा का अनुतोष विधिक रूप से देय नहीं है तथा वादी ने उक्त विवादित जायदाद के बाबत ही वाद [illegible] सिविल न्यायालय मुण्डावर में पेश किया था जो दिनांक 26/05/2022 को खारीज हो चुका है। सिविल वाद में वादी ने अभिवचन अंकित किये थे कि आराजी के खातेदार ललू ने आराजी हक से रहने के लिए दी थी इसलिए वादी का परमेसिव पजेशन माना जावेगा लेकिन उक्त वाद खारीज होने पर वादी ने अदालत हाजा में अभिवचन बदलकर प्रतिकूल कब्जे के आधार पर पेश कर दिया वादी अंकित है कि किसके खिलाफ व क्या अनुतोष मांगना है और अनुतोष मांगने का क्या आधार है वादी वाद की विरचना में विरोधाभासी है वादी केवल एनकेन प्रकारेण प्रतिवादी के निर्माण को रोकने के लिए प्रतिवादी को तंग व परेशान करने व विरोधाभासी अभिवचनों के आधार पर विरोधाभासी अनुतोष हेतु वाद पेश किया है जिसका कोई विधिक आधार नहीं है आदि-आदि अंकित करते हुए [illegible] सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट मुण्डावर के मु.नं. [illegible] के दायर दावा की छायाप्रति, निर्णय दिनांक [illegible] [illegible] के मेजरनामा, दिनांक 27-4-2[illegible] प्रमाण पत्र, पटवारी रिपोर्ट की छायाप्रतियां एवं मौके फोटोग्राफ [illegible] पेश किये है एवं वकील अप्रार्थी/वादी ने प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा.दी. के बाबत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को अस्वीकार करते हुए अपने जवाब प्रार्थना पत्र में निवादी द्वारा एडवर्स पजेशन के आधार पर वाद पेश किया जाना अंकित करते हुए रिकार्ड में दर्ज खातेदार ललू के

सहायक कलक्टर मुण्डावर (अलवर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj
Date: 2022.10.12 17:56:18
Reason: SelfAttested

लगातार

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	वारीसान अर्जी दावा के गांव के निवास नहीं कर रहे हैं इसलिए पक्षकार मुकदमा नहीं बनाया जाना एवं प्रतिवादी द्वारा उक्त प्रार्थनापत्र प्रस्तुत करने से पूर्व पक्षकार मुकदमा बनाये जाने हेतु प्रा०पत्र आदेश 1 नियम 10 जा०दी० किया जाना तथा प्रतिवादी द्वारा मिथ्या तथ्यों पर अदालत श्रीमान के समक्ष उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जाना तथा कानूनन किसी वादी का एवार्ड पजेशन के खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का अधिकारी होना साथ ही विवादित आराजी आबादी के साथ स्थित होने के कारण सिविल न्यायालय में वाद पेश किया जाना लेकिन कृषि भूमि का वाद सुनने का क्षेत्राधिकार नहीं होने के कारण अदालत द्वारा वाद खारीज किया जाने के कारण आराजी राजस्व रिकार्ड में कृषि भूमि दर्ज होने के कारण आदालत श्रीमान जी के समक्ष दावा पेश किये जाने का निवेदन करते हुए कानून के आधार पर पेश किया जाना अंकित करते हुए पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत रिपोर्टानुसार सिविल वादी एवं प्रतिवादी का कब्जा होना जाहिर करते हुए प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत उक्त प्रा०पत्र मय हर्जे खर्चे खारीज किये जाने का निवेदन किया। उक्तानुसार प्रार्थना पत्रों पर वकील उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई। प्रा०पत्र आदेश 1 नियम 10 जा०दी० के बाबत वकील प्रार्थी/वादी ने अपने प्रार्थनापत्र के कथनों को दोहराते हुए खातेदार फलाना, परसाद, शंकर पुत्रान मल्लू एवं मोहनी पुत्र कुम्भा को आवश्यक पक्षकार होने की स्थिति में पक्षकार मुकदमा बनाये जाने का अभिकथन करते हुए प्रा० स्वीकार किये जाने का निवेदन किया है इसी प्रकार दौरान बहस वकील अप्रार्थी/प्रतिवादी ने दौरान बहस प्रस्तुत प्रार्थनापत्र के कथनों को अस्वीकार करते हुए अपने जवाब प्रार्थनापत्र के कथनों को दोहराते हुए अभिकथन किया कि वादी द्वारा प्रस्तुत वाद [illegible] इन्द्राज बमय हुण्डी दवानी का वाद [illegible] तथ्य [illegible] पेश की है। रिकार्डेड खातेदार को [illegible] अंकित नहीं बनाया जबकि वादी ने अपने वादपत्र रिकार्डेड खातेदार [illegible] जानकारी किये हैं ऐसी स्थिति में वाद दायरी के वक्त भी इन तथ्यों [illegible] जानकारी थी तथा रिकार्डेड खातेदारों को पक्षकार बनाये जाने बाबत उक्त प्रार्थनापत्र में कोई भी कारण नहीं बताया जिसके कारण पक्षकार के नामों में से कोई भी कारण नहीं बताया जिसके कारण पक्षकार के नाम अंकित करने से रह गये। वाद की विरचना के समय की जानकारी	

सहायक कलेक्टर
मुण्डावर (अलवर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Badgujar
Date: 2022.10.12 17:56:18 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	... इस हुकम ... में ...
	नहीं होने पर तथा विचारण के निम्न जानकारी होने पर लिपिकीय त्रुटि का अवसर पक्ष को ही प्रार्थना पत्र के जरिये एतराज की त्रुटी के लिए किसी भी प्रक्रम लिया जा सकता है। लेकिन विधि की शुद्धी ... वादी के शुद्ध हाथ से वाद दायर को अनुमति नहीं दी जा सकती ... की रक्षार्थ नहीं बल्कि नहीं किया तथा वादी स्वयं के अधिकारों के लिए वाद प्रस्तुत प्रतिवादी के अधिकारों को कुंठित करने के लिए ... अनुसार मृतक किया है निवेदन करते हुए वादी द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र का पेश किया है व्यक्तियों को पक्षकार मुकदमा बनाये जाने के बाबत भी अंकन नहीं तथा मृतक व्यक्तियों से वाद हेतुक पैदा होने बाबत ही पैदा होते हैं आदि किया और ना ही मृतक व्यक्तियों से वाद हेतुक प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम आदि का निवेदन करते हुए वादी/प्रार्थी के अभिकथन किया। 10 जा.दी. को खारिज मय हर्जा खर्चा किये जाने का उपरोक्त विवेचन के आधार पर वुकलाए द्वारा की गई प्रार्थना पत्र के बाबत ध्यानपूर्वक बहस सुनी गई। पत्रावली एवं पत्रावली के प्रस्तुत दस्तावेजात के गहन अवलोकन उपरान्त प्रार्थी/वादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 जा० दी० को यह न्यायालय काबिल अस्वीकार्य पाता है अतः प्रार्थी/वादी की उक्त प्रार्थना पत्र खारिज की जाती है एवं प्रार्थी/प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा० दी० पर भी वकील उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थी/प्रतिवादी ने अभिकथन किया कि वादी द्वारा आराजी मुतनाजा ख० नं० 575 वाके ग्राम मोला अहीर तहसील मुण्डावर जिला अलवर के बाबत प्रतिकूल कब्जा के आधार पर खातेदारी की घोषणा व हु०इ० स्थायी का वाद पेश किया है जबकि रिकॉर्ड खातेदार को पक्षकार नहीं बनाया तथा जिसके विरुद्ध खातेदारी की घोषणा चाही है वह वाद निर्णय के लिए आवश्यक पक्षकार था वादी का वाद नॉन ज्वाइंडर ऑफ पार्टी से काबिल खारिज है ... खातेदारी की घोषणा का अनुतोष प्रतिकूल कब्जे के आधार पर ... है साथ ही वादी के द्वारा विवादित आराजी ... सिविल न्यायालय मुण्डावर में 1/2 हिस्से ... बाबत का पेश किया था जो दिनांक 26/05/2022 को [illegible] हो चुका है जिसकी वाद सं० 48/22 की छाया प्रतिवाद एवं [illegible] दिनांक 26/05/2022 की छायाप्रति, रिपोर्ट पटवारी हल्का, मौके के फोटो ग्राफ व अन्य दस्तावेजात पेश किये गये हैं जो शामिल पत्रावली अभिकथन करते हुए उक्त वाद के माध्यम से वादी ने [illegible]	

सहायक कलक्टर (अलवर) राज० मुण्डावर

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Ba
Date: 2022.10.12 17:56:18 I
Reason: SelfAttested

किस्म मुकद्मा........................अन्तर्गत धारा...

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अह... जो इस हुक्म की ता... में जारी हुए
	1/3 भाग के बाबत का एडवर्स पजेशन के आधार पर पेश कर अनुतोष चाहे जाने का निवेदन किया कि वादी द्वारा आराजी के खातेदार मल्लू ने आराजी पर रहने के लिए दी थी वादी को एडवर्स पजेसन के आधार पर कब्जे काश्त खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर प्रतिवादी को दु० दै० स्थायी से पाबन्द किये जाने का पेश कर अदालत हाला में अभिवचन बदलकर प्रतिकूल कब्जे के आधार पर दावा प्रस्तुत कर वादी बाधित है। जिसके खिलाफ व नया अनुतोष मांगना है और अनुतोष मांगने का नया आधार है। इस प्रकार वादी वाद की विरचना में विरोधाभासी है एवं वादी ऐन केन प्रकारेण प्रतिवादी को तंग व परेशान करने एवम् विरोधाभासी अभिवचनों के आधार पर विरोधाभासी अनुतोष विधि विरुद्ध चाहे जाने हेतु प्रस्तुत किया है जिसका कोई विधिक आधार नहीं है अभिकथन करते हुए उक्त प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर वादी के वाद को मय खर्चे खारीज किये जाने का अभिकथन किया। वादी व ठीक इसी प्रकार दौरान बहस रू० वकील अप्रार्थी / वादी ने प्रार्थी (प्रतिवादी) के प्रार्थना पत्र 07 R11 जा०दी० के कथनों का खण्डन करते हुए अपने जवाबदा० के कथनों को दोहराते हुए प्रार्थी / प्रतिवादी का प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 07 R11 जा०दी० को खारीज किये जाने का निवेदन किया। उपरोक्त विवेचन के आधार पर वकील उभयपक्षकारान की प्रार्थना पत्र पर ध्यान पूर्वक सुनी गई बहस एवं पत्रावली तथा पत्रावली प्रस्तुत दस्तावेजात के अवलोकन ... उपरान्त प्रार्थी / प्रतिवादी द्वारा ... आदेश 7 नियम 11 जाब्ता दिवानी ... स्वीकार योग्य पाता है। लगातार--	

सहायक कलक्टर
मुण्डावर (अलवर) राज०

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Badgujar
Date: 2022.10.12 17:56:18 IST
Reason: SelfAttested

रीख क्रम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारी जो इस हुक्म में ज
	आदेश अतः प्रार्थी/प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र आदेश 7 नियम 11 जाब्ता दिवानी स्वीकार योग्य पाये जाने की स्थिति में प्रार्थना पत्र स्वीकार की जाती है एवं प्रार्थनापत्र के स्वीकार किये जाने की स्थिति में वादी के वाद की आगामी कार्यवाही इसी स्टेज पर ड्रोप कर खारीज किया जाता है। पत्रावली [illegible] फैसल शुमार हो। नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता लेखागार हो। सुनाया गया। 1?-07-2022 सहायक कलक्टर मुण्डावर (अलवर) राज०	

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Badgujar
Date: 2022.10.12 17:56:18 IST
Reason: SelfAttested